

**झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग**

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 30.06.11

अधि० सं०-1/स्था.(विविध)-05-42/09-3260 दिनांक 27.06.11 को सम्पन्न विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के निम्नलिखित सहायक अभियंता (यॉत्रिक) को कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनके अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित करते हुए कार्यपालक अभियंता (यॉ.) (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रम सं.	पदाधिकारी का नाम/आई.डी./ जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नवपदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल M 333/02.06.54/लोहरदगा	सहायक अभियंता (यॉ.) योजना एवं मोनिटरिंग अंचल सं०-3, राँची	कार्यपालक अभियंता(यॉ.) (चालू प्रभार) योजना मोनिटरिंग प्रमंडल सं.-4, राँची (श्री कमलेश्वर प्रसाद के अधी. अभि. (चा.प्र.) के रूप में पदस्थापन के क्रम में होनेवाली रिक्ति के फलस्वरूप)	
2.	श्री अरविन्द कुमार विद्यार्थी M 370/02.07.51/भोजपुर	सहायक अभियंता (यॉ.) यॉत्रिक अवर प्रमंडल सं.-2, पॉकी (सिंचाई यॉत्रिक प्रमंडल, राँची)	कार्यपालक अभियंता(यॉ.) (चालू प्रभार), यॉत्रिक प्रमंडल, चांडिल	
3.	श्री अनीस अहमद रहमती M 361/21.01.57/रोहतास	सहायक अभियंता (यॉ.) जलपथ प्रमंडल, खूँटी	उप निदेशक (यॉ.) (चालू प्रभार), क्रय एवं परिवहन जल संसाधन राँची	
4.	श्री उमेश प्रसाद M 366/01.10.54/पलामू	सहायक अभियंता (यॉ.) सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला	उप निदेशक (यॉ.) (चालू प्रभार), क्रय, निर्माण एवं निविदा नियंत्रण प्रमंडल आदित्यपुर	
5.	श्री ललन प्रसाद M 376/12.10.53/रोहतास	सहायक अभियंता (यॉ.) ग्रामीण विकास विभाग	कार्यपालक अभियंता(यॉ.) (चालू प्रभार) यॉत्रिक प्रमंडल, मंडल (श्री जय कृष्ण शर्मा के दि. 31.7.11 के सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रभावी	ग्रामीण विकास विभाग से सेवा वापस लेते हुए
6.	श्री उमेश कुमार राय M 378/15.12.56/दुमका	सहायक अभियंता (यॉ.) सिंचाई प्रमंडल, कुडहिट	कार्यपालक अभियंता(यॉ.) (चालू प्रभार) यॉत्रिक प्रमंडल, बनासो(श्री अनिल कुमार * सिन्हा के अधी. अभि.(चा.प्र.) के रूप में पदस्थापन के क्रम में होनेवाली रिक्ति के फलस्वरूप)	

(हस्ताक्षर)

1	2	3	4	5
7.	श्री सत्यदेव चौधरी M 380/11.09.54/रोहतास	सहायक अभियंता (यॉ.) लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर- देवघर	कार्यपालक अभियंता(यॉ.) (चालू प्रभार) यॉत्रिक प्रमंडल, देवघर	

2. वैसे पदाधिकारी जो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में पदस्थापित हैं उनके लिए यह आदेश निर्वाचन संबंधी आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रभावी होगा। शेष के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. कार्यपालक अभियंता स्तरीय पद का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो पूर्व में देय है।
4. उपरोक्त पदाधिकारी जिन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया है, कालान्तर में इनसे वरीयता क्रम में वरीय पदाधिकारी की निगरानी स्वच्छता एवं चारित्री प्रोन्नति के अनुकूल पाये जाने पर उन्हें कार्यपालक अभियंता (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा एवं तदनुसार जो पदाधिकारी कनीय होंगे उन्हें सहायक अभियंता के रूप में अधिसूचित किया जायेगा।
5. भविष्य में उपरोक्त अभियंताओं की निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें सहायक अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
6. कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(चन्द्र भूषण सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक- 3260

राँची, दिनांक- 30.06.11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को, राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(चन्द्र भूषण सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक- 3260

राँची, दिनांक- 30.06.11

प्रतिलिपि-महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/ माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/ अपर

मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., राँची / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / संबंधित पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. संबंधित सहायक अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार 7 (सात) दिनों के अन्दर सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे। एक सप्ताह के भीतर विरमित नहीं होने पर सहायक अभियंता स्वतः कार्य से विरमित समझे जायेंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी उक्त पदाधिकारियों का माह जुलाई 2011 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।


 (चन्द्र भूषण सिन्हा)
 सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)